Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.

मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उच्चपिंडा, जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) में प्रस्तावित 4 x 350 मेगावॉट थर्मल पावर प्लान्ट के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 30.04.2008 का कार्यवाही विवरण –

मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उच्चपिंडा, जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) में प्रस्तावित 4 x 350 मेगावॉट थर्मल पावर प्लान्ट के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है। इस हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानानुसार लोक सुनवाई दिनांक 30.04.2008 दिन बुधवार को दोपहर 12:00 बजे स्थान प्राथमिक शाला भवन, बांधापाली, (ढेकरापाली मोहल्ला) के समीप रिक्त स्थल पर, ग्राम– बांधापाली, जिला–जांजगीर–चाम्पा में सम्पन्न हुई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधानानुसार सर्वसंबंधित से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में सुझाव/विचार 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किये जाने बाबत् सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र नवभारत एवं एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र द टाईम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली के अंक में दिनांक 25.03.2008 को प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित अवधि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर को तीन आपत्ति प्राप्त हुई है। लोक सुनवाई के दौरान प्रबंधन के प्रतिनिधि द्वारा उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ जल, वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों की जानकारी लोगों को दी गई। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन सामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये :–

1. पॉवर प्लान्ट जिस स्थल पर लगाया जाना है, वह बंजर धरती है, इस स्थान पर प्लान्ट लगना चाहिये।

2. पॉवर प्लान्ट स्थापित किये जाने से वायु प्रदूषण होगा,जल प्रदूषण होगा, उपजाऊ जमीन नष्ट होगी। यहॉ आबादी अधिक है, भौगोलिक स्थिति पॉवर प्लान्ट के उपयुक्त नहीं है। पॉवर प्लान्ट नहीं लगना चाहिये।

3. प्लान्ट लगने से लोगों की जमीन चली जाती है लेकिन उद्योग द्वारा नौकरी नहीं दी जाती है। कीमती जमीन देकर हम कहॉ जायेगें? कारखाना खोलना है तो नौकरी देना होगा।

4. ई.आई.ए. रिपोर्ट में अंग्रेजी भाषा का उपयोग है, जिसे क्षेत्रीय व्यक्ति नहीं समझते। यह रिपोर्ट हिन्दी या छत्तीसगढ़ी में होना चाहिए। प्रस्तावित स्थल पर पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। यह सड़क संयंत्र स्थापना के बीचो–बीच है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बांधापाली जलाशय का निर्माण कार्य 80% किया जा चुका है। यह जलाशय प्लान्ट के बीचो–बीच होगा। हसदेव बांगों लेफ्ट केनाल बनने के बाद

Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.

Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.

सम्पूर्ण भू–भाग सिंचित हो जायेगा। चिमनी की ऊँचाई 220 मीटर बताई गई है इसके ऊँचाई कम होने से सम्पूर्ण खेती का द्विफसली फसल खराब हो जायेगी जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण अधिक होगा। कृषि भूमि बजंर में तब्दील हो जायेगी। प्रस्तावित उद्योग से निकलने वाले राखड़ का उपयोग के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई है। प्रस्तावित उद्योग में अत्यधिक मात्रा में महानदी से पानी लिये जाने के कारण महानदी में पानी नहीं बचेगा। प्रस्तावित उद्योग को कितनी जमीन की आवश्यकता है, उतनी जमीन की व्यवस्था होने के पश्चात् विभाग को प्लांट लगाने की अनुमति पर विचार करना चाहिये।

5. राखड़ जगह–जगह रखने से हवा एवं पानी के द्वारा राखड़ फैलेगी, जिसमें खेती की भूमि बजंर होगी। तालाब दूषित होगा। अनेक बीमारियॉ होने की संभावना है।

6. छत्तीसगढ़ शासन एवं उद्योग द्वारा जो एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हुये है। वह 1200 मेगावॉट का है, जबकि ई.आई.ए. रिपोर्ट में 1400 मेगावॉट बताई गई है।

7. निजी भूमि जो किसानों से ली जा रही है, उसकी कीमत 10 लाख प्रति एकड़ से अधिक होना चाहिये।

8. जिन किसानों की जमीन क्रय किया गया है, उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है।

9. प्रस्तावित उद्योग में महानदी के ग्राम बसंतपुर एवं सामारडीह में स्टाप डेम बनाया जाना बताया गया है। स्टाप डेम बनने के पश्चात् 20 से अधिक ग्रामों के 1 हजार से अधिक किसानों को खेती हेतु पानी नहीं मिल पायेगा, और कुछ क्षेत्र डुबान क्षेत्र में हो जायेगा जिसकी पुर्नवास की व्यवस्था के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।

10. प्रस्तावित स्थल के आस–पास के ग्रामों में मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज एवं हास्पिटल बनाये जाने के संबंध में नहीं बताया गया है।

11. पर्यावरण का सर्वे नहीं कराया गया है। फैक्ट्री लगने के लिये लोकल ग्राम पंचायत से एम.ओ.यू. होना चाहिये।

12. उद्योग के लगने से प्रदूषण के कारण बीमारियॉ फैलती है, समय से पहले प्रसव का होना तथा नवजात शिशु का वजन कम होता है।

13. किसी भी शर्त पर फैक्ट्री नहीं लगना चाहिये।

14. लोक सुनाई विधिमान्य नहीं है।

15. प्रस्तावित स्थल से ग्रामों की दूरी कम होने से ध्वनि प्रदूषण की समस्या होगी।

Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.

Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.

16. थर्मल पावर प्लान्ट स्थापित करने वाले कम्पनी द्वारा प्रभावित ग्रामों को गोद ली जाये।

17. आस–पास के ग्राम के समस्त नागरिकों का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कराया जाये।

18. संबंधित ग्रामों में मूलभूत सुविधा जैसे अस्पताल, स्कूल, सड़क, पेयजल एवं बिजली आदि की पूरी व्यवस्था की जाये।

19. भूमि अधिग्रहित हो जाने से पत्थर से शील, लोहड़ा और अन्य मूर्तिया बनाकर जीवन यापन करने वाले कारीगरों को भुखमरी की स्थिति हो जायेगी।

20. कोयला आधारित पॉवर प्लान्ट में सबसे अधिक प्रदूषण होता है। स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य त्वचा आदि से संबंधित बीमारियॉ होगी। मनुष्य, मवेशियों, मछलियों और वनस्पतियों का जीना दूभर हो जायेगा।

21. पॉवर प्लान्ट के स्थापना से केकराभाठा ग्राम को पूरी तरह से हटाये जाने की संभावना व्यक्त की गई है, ग्रामवासी किसी भी शर्त में ग्राम नहीं छोड़ना चाहते।

22. यह अंदाज करना असंभव है कि राखड़ का जमावट कहॉ किया जावेगा। बरसात के पानी के कारण रिसाव किस दिशा में होगा, कितनी कृषि भूमि प्रदूषित होगी। धुऑ और राखड़ किस दिशा के लोगों मवेशियों एवं पानी को ज्यादा दूषित करेगी।

23. यह स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रस्तावित प्लांट के 900 एकड़ भूमि में कौन – कौन से गॉव आते है? इसकी सीमाएं क्या है।

24. आस–पास के ग्रामों को हटाया जाता है तब ग्रामीण कहॉ पर पुर्नवास करेगें यदि ग्रामों को नहीं हटाया जाता तो थर्मल पॉवर प्लान्ट पर प्रतिदिन जलने वाले लाखों टन कोयला से निकलने वाली प्रदूषण से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो जायेगा।

25. रोजगार की व्यवस्था तथा पुर्नवास का प्रावधान होना चाहिए।

26. कृषकों को पानी की समस्या होगी।

27. यदि प्लान्ट में पानी ड्रील करके सबमर्शिबल के माध्यम से लिया जायेगा तो वाटर लेबल नीचे गिरेगा जिससे पीने के पानी की समस्या होगी।

28. प्लान्ट लगने से चोरी, लूटपाट, डकैती घटनाओं में इजाफा होगा। क्षेत्रवासियों का जीवन बद्तर हो जायेगा।

29. यदि रेल लाईन प्लान्ट निर्माण के साथ–साथ नहीं बिछाया गया तो प्रतिदिन 22000 टन कोयला परिवहन से कम से कम 1000 ट्रक का आना–जाना होने से वातावरण अत्यन्त प्रदूषित हो जावेगा।

Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.

Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.

30. ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं उसके सार रिपोर्ट को परियोजना के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से प्रभावित लोगों के निरीक्षण हेतु परियोजना के प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. परिधि में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों आदि को उपलब्ध करायें।

31. प्लान्ट लगने से आर्थिक एवं सामाजिक जीवन उथल–पुथल होगा, क्षेत्र की शांति भंग होगी।

लोक सुनवाई के दौरान भी जनसामान्य द्वारा आपत्ति/विचार दर्ज करायी गई, जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जन सामान्य की उपस्थिति लगभग 1800 रही। अन्त में धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

(अजय गेडाम)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर

30/11/2002
(विजय कुमार आदिले)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(कलेक्टर प्रतिनिधि)
जॉजगीर–चाम्पा

Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.